न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– **श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद संख्या :– 45/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हडूमानराम पुत्र केहराराम 2. वालाराम पुत्र केहराराम कौम जाट निवासी एकलव्य नगर पटवार क्षैत्र दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर (राज0)		1. पदमाराम पुत्र मेघाराम कौम जाट निवासी एकलव्यनगर पटरवार क्षैत्र दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान। 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाडमेर (राज0)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 53, 92क, 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा

तारीख रजू– 05.09.2017

उपस्थित अधिवक्ता :–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण
02. प्रतिवादी संख्या 01 एकतरफा

– : : निर्णय : : –

दिनांक 01.05.2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 53, 92क, 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से है –विवादित आराजी पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण का 3/4 हिस्सा यानि रकबा 38–05 बीघा घोषित किया जावें। बाद घोषणा वादीगण के 3/4 हिस्से यानि रकबा 38–05 बीघा की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड, भूमि उपजाऊपन, धोरा–समतल, आने–जाने की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए अनुसार पृथक कर पृथक खाता कायम किया जावें ताकि भूमि समान रूप से, समान पैदावार से, आने–जाने की सुविधा, धोरा–समतल एक [illegible] जाए। वाद घोषणा व बंटवाडा वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि रकबा 38–05 [illegible] प्रतिवादी संख्या 01, उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार का दखल अन्दाजी व हस्तक्षेप, परिवर्तन नहीं करें, तथा प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त की भूमि तक आने–जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(धोरीमन्ना) बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 01, उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावें। अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा०का० अधि०, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादीगण इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो वो दिलवाई जावे का पेश किया का पेश किया गया था। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने काउटर क्लेम – प्रतिवादी खसरा संख्या 667 रकबा 51–00 बीघा में अपना 1/2 हिस्स का घोषणा करवाकर एडवर्ड पजेशन के अनुसार पश्चिम दिशा में बंटवारा करवाने के अधिकारी है। कि संवत् 2051 में प्रतिवादी के पिता जो स्वभाव से भोले व अनपढ थे को तत्कालीन हल्का पटवारी भैराराम धोखे में रखते हुए ऋण दिलाने के बहाने उसके 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान बिना प्रतिफल करवा दिया तथा उक्त भूमि तत्कालीन पटवारी भैराराम ने अपने पुत्र के ससुर लिखमाराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासी पीपराली को नाम करवा कर म्युटेशन पारित करवा दिया, जिसमें वादी हड़ुमान ने हल्का पटवारी का पूर्ण सहयोग किया। कि इस संबंध में प्रतिवादी को जानकारी पर तथा प्रतिवादी का मौके पर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने पर प्रतिवादी ने पंचायती करवाई तथा पंचो के दबाव में मुकदमे के भय से भैराराम ने 10 वर्ष बाद उक्त भूमि को वापस रजिस्ट्री करवाई परन्तु यहां भी बदमाशी करते हुए बेवजह हनुमान का नाम साथ में दर्ज कर दिया। प्रतिवादी अनपढ होने के कारण जानकारी नही हुई तथा वर्तमान में वादी संख्या 1 व 2 एक दावा श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया जिसमें दावे के नोटिसा प्रतिवादी को प्राप्त होने पर समस्त तथ्यों की जानकारी हुई जिस पर प्रतिवादी द्वारा एक राजस्व वाद अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने हुए पेश किया जो इस दावे के साथ कम्मीट हो चुका है। इस प्रकार वादी हड़ुमान पढा लिखा तथा पटवारी भैराराम सियोल का सहायक के रूप में काम कर चुका होने से राजस्व का अच्छा जानकार है तथा भैराराम के साथ मिलकर षड़यंत्र पूर्वक अपने नाम करवा दी जो अवैध होने व 25–10 बीघा पर प्रतिवादी का कब्जा होने का समस्त आड़ौसी– पड़ौसी ताईद करते है। इसलिए घोषित कर बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी का उक्त भूमि में पश्चिम की तरफ ... ... सीमा पर ... के सेढे की तरफ 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त में वादीगण दखल अन्दाज ... स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। काउटर क्लेम की शुल्क ... अतः प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से जवाब स्वीकार कर कमिट दावे के अनुसार काउटर क्लेम स्वीकार करने का आदेश फरमावे का पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना (stamp)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में वादीगण के वाद पत्र, प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब मय काण्डटर क्लेम तथा वादीगण का जबाबूल जबाब के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.06.2019 को कुल पांच निम्न लिखित तनकीयात् कायम की गई –

01. कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा में वादीगण का 3/4 हिस्सा घोषित किया जावें।

जिम्मे वादीगण

02. कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण 3/4 हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

03. कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण 3/4 हिस्से, कब्जे काश्त की भूमि में कोई स्तक्षेप परिवर्तन एवं बाधा न करें, मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंनध किया जावें।

जिम्मे वादीगण

04. कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी के पिता द्वारा किया गया बेचान बिना प्रतिफल व षड़यन्त्र पूर्वक करवाया जो प्रतिवादी पदमाराम के प्रति शुरू से शून्य होने तथा सेटलमेन्ट से आज तक 1/2 हिस्सा 25–10 बिघा पर कब्जा काश्त होने से घोषित करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

05. कि वादग्रस्त आराजी ग्राम एकलव्य नगर पटवार मण्डल दूधू के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा के पश्चिम में 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी पदमाराम का कब्जा काश्त में वादीगण दखल अन्दाजी न करें इसलिये प्रतिवादी पदमाराम के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

तनकी संख्या 01, व तनकी संख्या 04 को पूर्ण रूप से तथा तनकी संख्या 02 को आंशिक न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक .... को प्राथमिक डिकरी व निर्णय निम्न लिखित पारित किया गया था –

वादीगण का वाद इस प्रकार स्वीकार किया था कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

01. वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा क्रय सुदा तथा 1/4

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा पैतृक व वादी संख्या 02 का पैतृक 1/4 हिस्सा हैं अर्थात वादग्रस्त आराजी में दोनों वादियों का कुल आराजी में 3/4 हिस्सा घोषित किया जाता हैं।

02\. पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा क्रय सुदा तथा 1/4 हिस्सा पैतृक व वादी संख्या 02 का पैतृक 1/4 हिस्सा हैं अर्थात वादग्रस्त आराजी में दोनों वादियों का कुल आराजी में 3/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमल– दरामद करने का तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है।

03\. वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा में वादीगण का 3/4 हिसा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा की भूमि का बंटवारा "बाई मि्टस एण्ड बाण्उड्स" के प्राथमिक डिकरी की जाती है।

04\. प्राथमिक डिकरी राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी काश्तकारों के लिए रास्ते का प्रावधान करते हुए बंटवारा किया जावें।

05\. वादग्रस्त आराजी अच्छी में अच्छी, बुरी में बुरी, समतल में समतल, डेरी में डेरी समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया जाता है।

06\. तहसीलदार धोरीमना को आदेशित किया जाता हैं कि वादग्रस्त आराजी मौके पर जाकर का तनकी संख्या 02 अनुसार प्राथमिक डिकरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव (तकाचमा) तैयार कर आगामी पेशी तारीख तक आवश्यक रूप पेश करें।

07\. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्धित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें।

उपरांत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती एवं कब्जे काश्त की आराजी के संबंध में खाता एवं लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा मय नजरी नक्शा बनाए जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार धोरीमना को अधिकृत किया जाकर पत्रांक:कोर्ट/2023/570 दिनांक 22.12.2023 द्वारा आदेशित किया गया।

तहसीलदार धोरीमना ने अपने कार्यालय क्रमांक / भू0अ0/2024/572 दिनांक 23.02.2024 व मौका फर्द दिनांक 21.01.2024 का निम्न प्रकार से न्यायालय में पेश की गई। प्राथमिक डिकी की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपो[illegible] प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत किये

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना सत्यमेव जयते जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1.	पदमाराम पुत्र मेघाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार।	667	2.0639	बा. दोयम	0.76	लाल
2.	वालाराम पुत्र केहराराम 1/3, हडूमानराम पुत्र केहराराम 2/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार।	667	6.1917	बा. दोयम	2.29	हरा

जिसे शामिल मिसल किया गया,

वादीगण की बहस सुनी गई वादीगण वकील ने निवेदन किया की कुल पांच तनकियां वाद में निर्धारित की गई जिसमें से तनकी संख्या 01 व 04 पूर्ण व तनकी संख्या 02 आंशिक का निर्णय प्राथमिक डिकरी में किया था। तनकी संख्या 01, 04, 02 अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार तनकी संख्या 02 का आशिक निर्णय किया जावं में आंशिक तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जावें तथा तनकी संख्या 04 अनुसार वादीगण के पक्ष में बहस प्रतिवादी सख्या 01 के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। तथा दौराने साक्ष्य वादीगण द्वारा मूल बेचान दस्तावेज न्यायालय में प्रर्दर्शित करवाया गया हैं जो अब निर्णय होने से वादी संख्या 01 को मूल बेचान दस्तावेज लौटाया जावें।

तनकी संख्या 02 आंशिक निर्णित करना उचित समझते है।

2 कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण 3/4 हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

पूर्व में प्राथमिक डिकरी व निर्णय में तनकी संख्या 02 का निर्णय इस प्रकार से हुआ – तनकी संख्या 02 को सिद्ध करना वादीगण के जिम्मे थी जिसमें वादीगण का 3/4 हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने का है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी का ही है। जिसमें प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच में बराबर हक हिस्सा होता है। प्राथमिक डिकरी राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी काश्तकारों के लिए रास्ते का प्रावधान करते हुए एवं वादग्रस्त आराजी अच्छी में अच्छी, बुरी में बुरी, समतल में समतल, डेरी में डेरी समान रूप से बंटवारा करवाने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में होने ... वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 3/4 हिसा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा की भूमि बाई मिटस

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एण्ड बाण्उड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिकरी किया जाना हम उचित व विधिसंगत समझते है।

तनकी संख्या 02 का आंशिक निर्णय – प्राथमिक डिकरी व निर्णय की पालना में मौका व बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका हैं। तनकी संख्या 02 आंशिक विधि अनुसार निर्णित करनी है।

धारा 53 – जोत का विभाजन – (2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा–

(1) सह अभिधारियों के बीच

(क) जोत के ऐसे विभाजन और

(ख) उन विभिन्न प्रभागों जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान का वितरण के बारे में करार द्वारा या

(2) एक या अधिक सह– अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगाने के वितरण के प्रयाजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिकरी या आदेश द्वारा।

बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट व वर्तमान जमाबन्दी में संयुक्त खातेदारी की भूमि में दर्ज है। दो से अधिक खातेदार हैं वाद बंटवारा योग्य हैं लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट वादीगण का बंटवारा वाद अंतिम डिकि किया जाकर तहसीलदार धोरीमना ने अपने कार्यालय क्रमांक / भू0अ0/2024/572 दिनांक 23.02.2024 व बंटवारा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 21.01.2024 **का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार तनकी संख्या 02 आंशिक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।**

तनकी संख्या 03 व 05 दोनों में एक ही तथ्य, विधि, कानुन व समान इस्तदुआ की होने से एक साथ निर्णित करना उचित समझते है तनकीयात्

3 कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण 3/4 हिस्से, कब्जे काश्त की भूमि में कोई स्तक्षेप परिवर्तन एवं बाधा न करें, मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंनध किया जावें।

जिम्मे वादीगण

5 कि वादग्रस्त आराजी ग्राम एकलव्य नगर पटवार मण्डल दूधू के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा के पश्चिम में 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी पदमाराम का कब्जा काश्त में वादीगण दखल अन्दाजी न करें इसलिये प्रतिवादी पदमाराम के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01

दोनों तनकियां विधि के आधारित हैं तथा दोनों आपस में विरोधभाषी की हैं दोनों ही समान एक दुसरे के खिलाफ इस्तदुआ की गई है, अतः दोनों तनकी धारा 188 –राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक साथ विधि अनुसार की जाना प्रस्तावित है। –

धारा 188– दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश –

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर, सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

(1). कोई आसामी, जिसके सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या भूमि – क्षेत्र के हिस्से पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता हैं या आक्रमण की धमकी दी जाती है, चिरस्थायी व्यादेश की मंजूरी के निमित्त वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(2). न्यायालय, आवश्य जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित दशाओं में चिरस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात्

(क) यदि अतिक्रमण से हुई वास्तविक क्षति होने वाली सम्भावित क्षति के निश्चयन के लिये कोई प्रमाण नहीं हैं,

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हैं जिसके लिये आर्थिक मुआवजा पर्याप्त परितोष नहीं है,

(ग) जहॉ बहुत सम्भावना यह हो कि आक्रमण के लिये आर्थिक मुआवजा प्राप्त नहीं हो सकता है,

(घ) जहॉ व्यादेश कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने लिए आवश्यक हो।

हमने प्राथमिक डिकरी, निर्णय, दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन, प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्राथमिक डिकरी व निर्णय न्यायालय हाजा का दिनांक 22.12.2023 के अनुसार आदेश संख्या 01 व 02 अनुसार वादीगण 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जा चुका है। आदेश संख्या 03 अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। लिहाजा विभाजन प्रस्ताव में संलग्न विभाजित भाग में भविष्य में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवाद नहीं रहे, वाद बाहुलता रोकने के लिए एक दुसरे के कब्जा काश्त व रकबे में दंखलअदाजी नहीं करें की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित व विधि संगत समझते है।

—:: आदेश ::—

अतः परिणामस्वरूप **अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की सादिर की जाती है व** वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिवाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :—

वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51—00 बीघा यानि 8.2556 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम लगान 3.05 रूपये **की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है—**

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत ... सकूनत	खसरा सं.	रकबा (है.)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1.	पदमाराम पुत्र मेघाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार।	667	[illegible]	बा.दोयम	0.76	लाल
2.	वालाराम पुत्र केहराराम 1/3, हडूमानराम पुत्र केहराराम 2/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार।	667	6.1917	बा.दोयम	2.29	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

2. तहसीलदार धोरीमना को आदेशित किया जाता हैं कि आदेश संख्या 01 अनुसार विभाजित भाग राजस्व रिकॉर्ड यथा ऑनलाईन जमाबन्दी, ऑनलाईन भू– नक्शा आदि में नामान्तकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे, बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार धोरीमना ने अपने कार्यालय क्रमांक / भू0अ0/2024/572 दिनांक 23.02.2024 व बंटवारा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 21.01.2024 का निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे।
3. राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर बाद बंट में आने वाले खसरों को दोनों पक्षो को हल्का पटवारी से सीमाज्ञान कर सीमा का ज्ञान कराने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश संख्या 01 अनुसार पक्षकारान् अपने– अपने हिस्से खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक– पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 को आपस में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्ध किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा/ रकबा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करें, ना ही किसी प्रकार से कब्जे काश्त में रूकावट व बाधा पैदा/कारित करें।
5. मूल बेचान दस्तावेज वादीगण वकील को लौटाया जावें।
6. अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक– 01.05.2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण
1. हड्डूमानराम पुत्र केहराराम
2. वालाराम पुत्र केहराराम कौम जाट निवासी एकलव्य नगर पटवार क्षैत्र दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण
1. पदमाराम पुत्र मेघाराम कौम जाट निवासी एकलव्यनगर पटरवार क्षैत्र दूधू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाडमेर (राज0)

मुकदमा नम्बर :– 45/2017

दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 53, 92क, 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–
01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण
02. प्रतिवादी संख्या 01 एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू ....–........... व हाजरी, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई एवं मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः परिणामस्वरूप अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की सादिर की जाती है व वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिवाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :–

1. वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल दूधू राजस्व ग्राम एकलव्यनगर के खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 51–00 बीघा यानि 8.2556 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम लगान 3.05 रुपये की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1.	पदमाराम पुत्र मेघाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार।	667	2.0639	बारानी दोयम	0.76	लाल
2.	वालाराम पुत्र केहराराम 1/3, हड्डूमानराम पुत्र केहराराम 2/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार।	667	6.1917	बारानी दोयम	2.29	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

2. तहसीलदार धोरीमना को आदेशित किया जाता है कि आदेश संख्या 01 अनुसार विभाजित भाग राजस्व रिकॉर्ड यथा ऑनलाईन जमाबन्दी, ऑनलाईन भू– नक्शा आदि में नामान्तकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे, बंटवाड़ा

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार धोरीमना ने अपने कार्यालय क्रमांक / भू0अ0/2024/572 दिनांक 23.02.2024 व बंटवारा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 21.01.2024 का निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे।

3. राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर बाद बंट में आने वाले खसरों को दोनों पक्षो को हल्का पटवारी से सीमाज्ञान कर सीमा का ज्ञान कराने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश संख्या 01 अनुसार पक्षकारान् अपने— अपने हिस्से खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक— पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 को आपस में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्ध किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा/ रकबा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करें, ना ही किसी प्रकार से कब्जे काश्त में रूकावट व बाधा पैदा/कारित करें।

5. मूल बेचान दस्तावेज वादीगण वकील को लौटाया जावें।

6. अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज...............—...............मुबलिक..................—.............बाबत्.........—..........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....—.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....—............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.05.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

मोहर — सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर — सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner